21/7/2023 पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम बेगा की नांगल स्थित खसरा नं. 729 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

प्रा0 पत्र 288/2023
निर्णय दिनांक 21.07.2023

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बेगा की नांगल पटवार हल्का बेगा की नांगल तहसील पाटन स्थित खसरा नं. 729 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर की प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 01.06.2022 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
नीमकाथाना (सीकर)